विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-45/15

मेसर्स मंगला इंटरप्राईजस प्रा.लि. — आवेदक
प्लाट नं. 130/3, ग्राम बालगढ़, इण्डस्ट्रीयल एरिया नं. 3
भोपाल वायपास रोड
देवास म.प्र.

विरूद्ध

मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) संभाग — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., उज्जैन म.प्र.

अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) संभाग
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., देवास म.प्र.

आदेश

(दिनांक 01.06.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0318515 मेसर्स मंगला इंटरप्राईजेस प्रा.लि. विरूद्ध मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. एवं अन्य एक में पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 के विरूद्ध आवेदक की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–45/15 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 18.3.2016 को सुनवाई की गई जिसमें आवेदक की ओर से श्री के.के. कानानी, सलाहकार उपस्थित थे एवं अनावेदक अनुपस्थित।

04 आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके परिसर में लगी हुई मीटर इक्यूपमेंट (एमई) जल जाने से अनावेदक द्वारा बिना सुनिश्चित किये कि एमई किसकी गलती से जली है, आवेदक से एमई की पूरी कास्ट रूपये 1,16,145/– जमा करा लिये गये।

05 आवेदक द्वारा अपनी शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर में दर्ज कराई गई तथा फोरम के सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्कों के आधार पर फोरम द्वारा एमई की कास्ट वापस करने के आदेश के साथ–साथ एमई बदलने में हुए परिवहन एवं अन्य व्यय आवेदक को वहन करने का आदेश दिनांक 21.12.2015 को पारित किया जो कि नियम के विपरीत है। इसलिए जमा की गई राशि अनावेदक से वापस दिलाई जाए।

06 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके परिसर के संयोजित भार को देखते हुए अधिक क्षमता की एमई उनके परिसर में अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा लगाई जाए जिससे कि लोड बढ़ने पर एमई फेल न हो।

07 आवेदक द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि अनावेदक द्वारा उन्हें मण्डल के परिपत्र क्रमांक कानि/संचा–संधा/08–01/एम/9735/ जबलपुर दिनांक 21.10.1993 की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

08 सुनवाई में अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में अनावेदक के तर्क नहीं हो सके। अतः अनावेदक को उपस्थित होने का अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 25.5.2016 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गई।

09 दिनांक 25.5.2016 को सुनवाई के दौरान अनावेदक की ओर से बताया गया कि उनके द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 के परिपालन में आवेदक से परिवहन एवं अन्य चार्जेस की वसूली की गई। अनावेदक द्वारा मण्डल के परिपत्र क्रमांक कानि/संचा–संधा/08–01/एम/9735/ जबलपुर दिनांक 21.10.1993 की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

10 अनावेदक द्वारा अधीक्षण यंत्री, उज्जैन की मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट, आवेदक के परिसर में लगे मीटर की एमआरआई तथा आवेदक से वसूल की गई परिवहन एवं अन्य चार्जेस के नियम (एसओआर 15–16) की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

11 आवेदक द्वारा जून 2015 से अप्रैल 2016 के विद्युत देयकों की प्रतिलिपि दिनांक 10.5.2016 को प्रस्तुत की गई। (ओई–1) दिनांक 25.5.2016 को आवेदक उपस्थित नहीं थे। परन्तु उनके द्वारा दिनांक 10.5.2016 को अगली तिथि में उनकी अनुपस्थिति को मानते हुए अनावेदक द्वारा तर्क एवं दस्तावेज के आधार पर निर्णय देने हेतु पत्र प्रस्तुत किया। (ओई–2)

विद्युत शिकायत निवारण फोरम द्वारा लिये गये निर्णय एवं आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्क के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

अ आवेदक के परिसर का संयोजित भार 650 केवीए है तथा उनके यहॉ 10/5 एम्पीयर अनुपात की एमई लगाकर अनावेदक द्वारा दिनांक 6.6.2015 को विद्युत कनेक्शन दिया गया था।

ब आवेदक द्वारा दिनांक 3.9.2015 को उनके परिसर में विद्युत बंद होने की सूचना सहायक यंत्री (रख–रखाव) को दी गई। सहायक यंत्री द्वारा दिनांक 4.9.2015 को आवेदक से 1,16,145/– रूपये का डिमाण्ड नोट एमई क्षतिग्रस्त होने के कारण दिया गया, जिसको आवेदक द्वारा उसी दिन राशि जमा करा दी गई। राशि जमा करने के पश्चात अनावेदक द्वारा दिनांक 4.9.2015 को ही एमई बदल दी गई।

स अनावेदक द्वारा फोरम के सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह संज्ञान में आया कि आवेदक के परिसर में लगाई गई एमई ग्यारंटी पीरियेड में फेल हुई है अतः उसका फ्री रिप्लेसमेंट अनावेदक को एमई बनाने वाली फर्म द्वारा प्राप्त हो जाएगा तथा अनावेदक फोरम के सम्मुख यह सिद्ध नहीं कर पाया कि एमई जलने के लिए आवेदक जिम्मेदार है।

द फोरम द्वारा एमई की कीमत परचेस आर्डर के अनुसार आवेदक को वापिस करने एवं एमई बदलने में हुए व्यय को आवेदक से वसूल करने के आदेश दिये जिसको आवेदक द्वारा गलत ठहराते हुए विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

12 आवेदक से उनके परिसर में एमई लगाये जाने में परिवहन में आये खर्च एवं अन्य खर्च की वसूली किया जाना उचित है अथवा नहीं इसको सुनिश्चित करने के लिए विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन किया गया। विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.1 एवं 8.6 में निम्न प्रावधान हैं –

8.1 कोई भी नवीन संयोजन मापयन्त्र (meter) एवं सुसंगत मानकों के अनुसार उचित मापदण्ड के कट–आउट (cut-out) या मिनीएचर सर्किट ब्रेकर (Miniature Circuit Breaker- MCB) अथवा सर्किट ब्रेकर (Circuit Breaker- CB) के बिना प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन सेवा संयोजनों, अमीटरीकृत संयोजनों के प्रावधान तथा रूके हुए/त्रुटिपूर्ण मापयन्त्रो/ विद्युत मापन उपकरणों को बदले जाने के लिये पर्याप्त मात्रा में उचित मापयंत्रों (मीटरो)/ /विद्युत–मापन उपकरणो (metering equipments) की अधिप्राप्ति की व्यवस्था की जाएगी।

8.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नवीन विद्युत संयोजन प्रदान करते समय अथवा आवश्यकतानुसार किसी अन्य समय पर भी मापयन्त्र (मीटर), मापयन्त्र उपकरण (metering equipments) एवं कट–आऊट/एमसीबी/सीबी/भार–नियन्त्रक (load-limiter) उपलब्ध कराये जायेंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मापयन्त्र तथा मापयन्त्र उपकरणों को सही कार्यस्थिति में रखा जाएगा और उपभोक्ता द्वारा इनके मासिक किराये का भुगतान मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि नवीन सेवा संयोजनों हेतु अथवा त्रुटिपूर्ण विद्युत मापन उपकरणों को बदलने के लिए विद्युत मापन उपकरणों की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जानी है तथा अनुज्ञप्तिधारी मापयंत्र एवं मापयंत्र उपकरणों को सही कार्य स्थिति में रखेगा एवं उपभोक्ता द्वारा इसके लिए मासिक किराये का भुगतान मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 द्वारा किया जाएगा।

13 उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में एमई ग्यारंटी पीरियेड में फेल हुई है, अतः इसका रिप्लेसमेंट इसको बनाने वाली कंपनी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा। अतः इसको बदलने में जो भी व्यय होना है उसकी भरपायी एमई बनाने वाली कंपनी से ही वसूल की जाना उचित है। अतः फोरम द्वारा दिया गया निर्णय उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि आवेदक द्वारा केवल एमई एवं मीटर का मासिक किराया आयोग द्वारा निश्चित की गई राशि के अनुसार दिया जाना है । मीटर एवं विद्युत मापन उपकरणों को लगाये जाने का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी पर है अतः आवेदक से परिवहन व्यय एवं अन्य चार्जेस की की गई वसूली नियम के विपरीत एवं अवैधानिक है।

14 आवेदक का यह कथन कि उनके परिसर में भार के अनुरूप पर्याप्त क्षमता की एमई नहीं लगी है एवं इसके स्थान पर 20/5 एम्पीयर अनुपात की एमई लगाई जानी चाहिए। इसके संदर्भ में अनावेदक द्वारा परिपत्र क्रमांक कानि/संचा–संधा/08–01/एम/9735/ जबलपुर दिनांक 21.10.1993 (ओई–3) प्रस्तुत किया है जिसमें 650 केवीए (33 केवी) के संयोजित भार तक 10/5 एम्पीयर की एमई लगाई जानी है। चूंकि यह तकनीकि बिन्दु है अतः विद्युत लोकपाल द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यद्यपि आवेदक द्वारा प्रस्तुत जून 2015 से अप्रैल 2016 तक के विद्युत देयकों के अवलोकन

करने पर यह स्पष्ट है कि उनके परिसर में स्वीकृत संविदा भार 650 केवीए के विरूद्ध अधिकतम डिमाण्ड 686 केवीए रिकार्ड हुई है। इसलिए आवेदक यदि चाहे तो अपना संयोजित भार 675 केवीए तक बढ़ा सकता है जिसके अनुसार अनावेदक उनके परिसर में पर्याप्त क्षमता की एमई 20/5 अनुपात की स्थापित कर सके।

15 प्रस्तुत दस्तावेज से यह भी स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा बिना यह सुनिश्चित किये कि एमई किन करणों से फेल हुई है, एमई की कास्ट आवेदक से जमा करायी गई है जो कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 के परिशिष्ट के बिन्दु क्रमांक 6 में स्पष्ट प्रावधान कि जले हुए मीटर/मीटरिंग उपकरणों की वसूली, पूर्ण अवमूल्यित राशि के अनुसार उपभोक्ता का दायित्व स्थापित होने पर ली जाएगी, के विपरीत है। अतः अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा है कि भविष्य में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करे।

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर यह आदेशित किया जाता है कि –

(i) आवेदक से वसूल की गई परिवहन एवं अन्य चार्जेस को निरस्त कर जमा कराई गई राशि का समायोजन उपभोक्ता के आगामी विद्युत देयकों में किया जाए।

(ii) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का आदेश जिसमें कि उनके द्वारा परिवहन एवं अन्य चार्जेस आवेदक से लिये जाने हेतु पारित किया था को निरस्त किया जाता है।

16 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल